मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल

गतवर्ष की उपलब्धियॉ एवं योजनाऐं

प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपजों का बेहतर नियमन एवं नियंत्रण स्थापित करने तथा कृषकों को बिचौलियें के शोषण से बचाने, समयावधि में उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में मंडी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में प्रदेश में 239 मंडियां एवं 272 उप मंडियां कार्यरत है। प्रदेश की फल–सब्जी हेतु 105 कृषि उपज मंडी समितियों को अधिसूचित किया गया है।

भूमि एवं संरचना का आवंटन नियम, 2009

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में भूखण्ड, दुकान, गोदाम, शापकम गोदाम, केन्टीन आदि के आवंटन के लिये म0प्र0कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 बनाये गये है, जो वर्तमान में प्रभावशील है।

मंडियों में जन भागीदारी

वर्तमान में प्रदेश की 239 कृषि उपज मंडी समितियों में से 224 मंडी समितियों का जून 2005 तथा 09 मंडी समिति का जनवरी 2006 में अध्यक्ष, कृषक सदस्य एवं व्यापारी सदस्यों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराया जाकर मंडी समितियों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सामान्य निर्वाचन के पश्चात नवीन स्थापित कृषि उपज मंडी समितियों में भारसाधक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सामान्य मंडी निर्वाचन 2010 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त सामान्य निर्वाचन के पश्चात दिसम्बर 2007 तक में 03 अध्यक्ष और 23 विभिन्न मंडी समितियों में कृषक/व्यापारी सदस्यों के निधन एवं त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुये स्थानों पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये गये।

मंडियों में आवक

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में विगत वर्ष 2006–07 में अप्रेल से मार्च की अवधि की तुलना में 147.24 लाख टन की आवक हुई थी, वर्ष 2008–09 में इसी अवधि में आवक में 174.87 लाख टन की आवक होकर विगत वर्ष की तुलना में 18.76 प्रतिशत वृद्धि हुई एवं वर्ष 2008–09 में इसी अवधि में 169.35 लाख टन की आवक होकर गत वर्ष की तुलना में 3.16 प्रतिशत की आवक में कमी आयी। वर्ष 2009–10 में अप्रेल से दिसम्बर की अवधि में 128.04 लाख टन की आवक हुई।

मंडियों की आय

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में विगत वर्ष 2006–07 में अप्रेल से मार्च की अवधि में 370.23 करोड़ रूपये की आय हुई थी। वर्ष 2007–08 मे इसी अवधि में आय में 466.35 करोड़ रूपये की आय होकर विगत वर्ष की तुलना में 25.96 प्रतिशत वृद्धि हुई। एवं वर्ष 2008–09 में इसी अवधि में 478.23 करोड रूपये की आय होकर गत वर्ष की तुलना में 2.55 प्रतिशत की आय में वृद्धि हुई। वर्ष 2009–10 में (अप्रेल से दिसम्बर) की अवधि में 412.80 करोड़ रूपये की कुल आय होकर गत वर्ष की तुलना में 22.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मंडी प्रांगण में रियायती दर पर भोजन व्यवस्था

शासन की योजना अंतर्गत ''मंडी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय हेतु आने वाले कृषकों को 5/– रूपये में भोजन उपलब्ध कराने बाबत् प्रदेश की 239 मंडी समितियों में से 237 मंडियों में योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

प्रदेश के कृषकों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना लागू की जाकर कार्यालयीन पत्र दिनांक 27.09.2008 से कियान्वयन करने हेतु समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये गये है। योजना की कण्डिका 2 में उल्लेखित परिस्थितियां घटित होने पर आर्थिक सहायता राशि :–

01.	मृत्यु होने पर	–	50,000/–
02.	दुर्घटना में स्थाई अपंगता	–	25,000/–
03.	दुर्घटना में अंग भंग होने से आंशिक अपंगता	–	7,500/–
04.	अंत्येष्टी अनुदान	–	2,000/–

उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान अनुसार हितग्राही को भुगतान किया जाता है।

दिनांक 27.1.09 से 31.12.09 तक समस्त मंडियों से उक्त मद में राशि रू0 40.00 लाख प्राप्त हुए। जिसके विरूद्व विभिन्न कलेक्टर को उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर राशि रू0 21.00 लाख कृषकों के आश्रितों को प्रदाय किये गये।

मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये कार्यालयीन आदेश दिनांक 27.09.2008 द्वारा योजना लागू की गई है।

मंडी हम्माल तुलावटी योजना अंतर्गत प्रावधान

(1) प्रसुती अवकाश सुविधा – 15 दिवस की अकुशल मजदूरी (पुरूष महिला)
अधिकतम दो प्रसुती – 42 दिवस की अकुशल मजदूरी (महिला हम्माल)

(2) विवाह हेतु 6000/– दो पुत्रियों की सीमा तक

(3)प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु प्रतिवर्ष दिये जानेवाली सहायता

कक्षा	महिला	पुरूष
5 से 7	500	750
8 से 9	750	1000
10 से 12	1000	1500
स्नातक	2000	3000
स्नातकोतर	3000	4000

(4) 20,000/– तक चिकित्सा सहायता – (हम्माल एवं तुलावटी हेतु)

(5) स्थायी अपंगता दो अंगो के क्षतिग्रस्त होने पर – 25,000/–
आंशिक अपंगता – 7,500/–

(6) मृत्यु होने पर – 50,000/–

उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान अनुसार हितग्राही को भुगतान किया जाता है।

कृषि विपणन पुरस्कार योजना

इस योजना अन्तर्गत मंडी समितियों में ड्रा लॉटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष में 3 बार यथा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं बलराम जयंती पर निकाले जाते है। जिसमें बम्पर ड्रा के पुरस्कार में क–संवर्ग की मंडी में 35 अश्वशक्ति का टेक्ट्रर एवं ख, ग, घ प्रवर्ग की मंडी समिति 50,000/– रूपये मूल्य के कृषि यंत्र दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त **'क'** वर्ग की मंडी समिति में प्रथम पुरस्कार में 21,000/–, द्वितीय पुरस्कार में 15,000/–, तृतीय पुरस्कार में 11,000/– एवं चतुर्थ पुरस्कार में 5,000/–

'ख' वर्ग की मंडी समिति में प्रथम पुरस्कार 15,000/–, द्वितीय पुरस्कार 8,000/–, तृतीय पुरस्कार 5500/– एवं चतुर्थ पुरस्कार 3000/–

'ग' वर्ग की मंडी समिति में प्रथम पुरस्कार 10,000/–, द्वितीय पुरस्कार 6,000/–, तृतीय पुरस्कार 3000/– एवं चतुर्थ पुरस्कार 2000/–

'घ' वर्ग की मंडी समिति में प्रथम पुरस्कार 5,000/–, द्वितीय पुरस्कार 3,000/–, तृतीय पुरस्कार 2000/– एवं चतुर्थ पुरस्कार 1000/–

प्रदेश के मंडी क्षेत्रों में सड़को के निर्माण के संबंध में

प्रदेश के विभिन्न मण्डी क्षैत्रों में मण्डी बोर्ड द्वारा जिसमें भोपाल,सागर,जबलपुर इन्दौर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों में किसान सड़क निधि के अन्तर्गत 52 सड़को के निर्माण कार्य लागत राशि रूपये 86.82 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये है। जिससे प्रदेश की ग्रामीण क्षैत्रों की जनता को आवागमन में काफी सुविधा प्राप्त होगी।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का कियान्वयन

शासन की नीति के अंतर्गत कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिये मंडी बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश की 26 मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की गई है एवं 10 नग चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वाहन क्रय किये गये है।

कृषक विश्राम गृह

प्रदेश की 'अ' तथा 'ब' वर्ग की मंडी समितियों के प्रांगणों में कृषक विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध है। 'स' एवं 'द' वर्ग के जिन मंडी प्रांगणों में कृषक विश्राम भवन उपलब्ध नहीं है। उनमें स्थल तथा राशि की उपलब्धता के अनुसार कृषक विश्राम गृह भवन बनाये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है।

पवारखेडा जिला होशंगाबाद में कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब की स्थापना

पवारखेडा जिला होशंगाबाद में कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब मण्डी बोर्ड तथा वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के संयुक्त उपक्रम के तहत 115 एकड क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें अनुमानित व्यय रूपये 170.00 करोड़ की राशि की अद्योसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जावेगी। यह परियोजना पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप की अवधारणा पर आधारित है। उक्त परियोजना में इनलैण्ड कंटेनर डिपो, रेलवे टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग व कॉमन फैसलिटीज विकसित की जावेगी। साथ ही मण्डी द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित विभिन्न प्रसंस्करण यूनिट को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक सुविधाएं विकसित की जावेगी। यह प्रदेश का प्रथम कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब की श्रेणी में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें समस्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।

ग्राम खैरी, शाहपुरा जिला जबलपुर में फूड पार्क की स्थापना

जबलपुर संभाग के अन्तर्गत ग्राम खैरी शाहपुरा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 59 हेक्टेयर में अद्योसंरचना विकास निधि के अन्तर्गत फूड पार्क प्लाजा की स्थापना का प्राथमिक चरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिस पर वर्तमान में रूपये 40.00 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। उक्त परियोजना के कियान्वयन होने से क्षेत्र के कृषक वर्ग को विशेष रूप से लाभ एवं आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होगी।

प्रदेश की राजधानी भोपाल में होलसेल मार्केट की स्थापना के संबंध में

प्रदेश की राजधानी भोपाल के नवीन मण्डी प्रांगण करोंद में आधुनिक होल सेल मार्केट स्थापित किये जाने की परियोजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना हेतु म0प्र0 शासन द्वारा किसान सड़क निधि मद से रूपये 40.00 करोड़ की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन के अन्तर्गत 25 प्रतिशत अनुदान राशि रूपये 9.16 करोड़ स्वीकृत किये गये है। उक्त होलसेल मार्केट में आधुनिक पद्धति के आधार पर इलेक्ट्रानिक आक्शन, होलसेलर शॅापस्, कैश एवं कैरि स्टोर्स, हाईपर मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर, राईपेनिंग चेम्बर एवं कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान करते हुए अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसीत की जा रही है, योजना का कार्य प्रगति पर है। इससे मण्डी क्षेत्र के कृषकों एवं व्यापारियों को लाभ होगा।

भारत सरकार की मार्केट सूचना स्कीम (एगमार्कनेट)

विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, भारत सरकार द्वारा मार्केट इनफारमेंशन नेटवर्क परियोजना शुरू की गयी है। यह योजना विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की चयनित मंडियों को निशुल्क कम्प्यूटर्स आदि उपकरण प्रदाय किये गये हैं जिनका उपयोग विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय को दैनिक आवक तथा भाव की जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित साफ्टवेयर का उपयोग कर इंटरनेट/ई–मेल के द्वारा सम्प्रेषण के लिये किया जायेगा। इन कम्प्यूटर्स के इनस्टालेशन तथा ऑपरेशन के लिये आवश्यक सुविधायें जैसे धूल रहित कक्ष, निर्धारित विद्युत कनेक्शन, कम्प्यूटर ऑप्रेटर तथा टेलीफोन सुविधा संबंधित मंडी समिति द्वारा प्रदाय की जा रही है।
भारत सरकार की एगमार्कनेट परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष जनवरी 2001 से प्रदेश की मंडी समितियों में किया जाना प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में निम्नानुसार प्रदेश की कुल 231 कृषि उपज मंडी समितियों योजना अंतर्गत लाभान्वित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की फल–सब्जी हेतु अधिसूचित 36 कृषि उपज मंडी समितियों में योजना अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जिनमें कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण प्राप्त होना शुरू हो गया है।

योजनातंर्गत परफारमेंस – भारत सरकार की एगमार्कनेट परियोजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन में परफारमेंस की दृष्टि से मध्यप्रदेश माह जनवरी 2010 की स्थिति में अन्य 23 राज्यों की तुलना में छटवें स्थान पर रहा है।

मंडी समितियों में कृषि जिन्सों की कुल आवक
माह अप्रेल से मार्च तक

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	जिन्सों की कुल आवक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2000-01	112.72	-
2001-02	104.04	-07.70 %
2002-03	106.76	02.61 %
2003-04	126.96	18.92 %
2004-05	135.52	06.74 %
2005-06	157.26	16.05 %
2006-07	147.45	-06.24 %
2007-08	176.47	19.68 %
2008-09	169.35	(-)3.16 %
अप्रेल से दिस. तक 09-10	128.04	0.36 %

मंडी समितियों की मंडी फीस @ 2 % से अर्जित आय
माह अप्रेल से मार्च तक

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	मंडी फीस @ 2 % से अर्जित आय	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2000-01	211.97	
2001-02	209.51	-01.16 %
2002-03	219.18	04.62 %
2003-04	276.73	26.26 %
2004-05	277.95	00.44 %
2005-06	327.40	17.79 %
2006-07	370.30	13.10 %
2007-08	466.36	25.94%
2008-09	478.23	2.55%
अप्रेल से दिस-09-10	412.80	22.48%

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

भारत सरकार की कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति रतलाम, बदनावर, बुरहानपुर, खरगौन, सौसर, खातेगांव, धामनौद, खण्डवा, बडवाह, भीकनगाव, सनावद, मनावर, पेटलावद, कुक्षी, खेतिय, अंजड, करही,सैलाना, लोहार्दा, थांदला, झाबुआ एवं बडवानी में रू0 4283.42 लाख की लागत से कपास मंडियों की विकास कार्य पूर्ण किया गया है। कृषि उपज मंडी समिति जोबट, राजगढ, गंधवानी, कसरावद, सेगॉव, एवं पांढुरना हेतु राशि रू0 1165.69 लाख की परियोजना स्वीकृत हो कर पांढुरना को छोडकर शेष सभी पूर्ण है।

कृषि विपणन आधारित संरचना श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढीकरण के लिए योजना

भारत सरकार की कृषि विपणन आधारित संरचना श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढीकरण के लिये योजना के अंतर्गत प्रदेश की 49 मंडियों हेतु कुल राशि रू0 16797.012 लाख के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये है। इस हेतु स्वीकृत सब्सिडी राशि रू0 4209.77 लाख में राशि रू0 2104.76 लाख एवं द्वितीय किश्त रू0 149.23 लाख अंशदान अभी तक प्राप्त हो चुका है।

मंडियों में इलेक्ट्रानिक तौलकांटे (छोटे एवं बडे इलेक्ट्रानिक तौलकांटे)

प्रदेश की मंडियों में 80 नग बडे (05 से 40 टन क्षमता) इलेक्ट्रानिक तौलकांटे तथा 5715 नग छोटे (3 से 10 क्विंटल क्षमता) इलेक्ट्रानिक तौलकांटे स्थापित किये जा चुके है, जिन मंडियों में बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे संचालित करने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन मंडियों में ''बिल्ट एंड आपरेट'' आधार पर 24 नग बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे स्थापित किये गये है।

मंडियों के विकास हेतु ऋण

बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–10 (दिनांक 07.11.2009 की स्थिति तक) राशि रूपये 1478.15 लाख का ऋण मंडियों के विकास हेतु स्वीकृत किया गया है।

किसान सड़क निधि :– वर्ष 2000–01 से मार्च 2009 तक उक्त मद मे प्रदेश की समस्त मण्डियों से मद राशि रू 1318.62 करोड प्राप्त हुई जिसमे से राशि रू 954.33 करोड ''मध्य प्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण'' को तथा राशि रू 40.70 करोड कार्यपालन यंत्री, आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड, भोपाल का अंतरित किये गये। इस प्रकार उक्त निधि से कुल राशि रू 995.03 करोड अंतरित किये जा चुके है।

कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि

वर्ष 2000–01 से मार्च 2009 तक उक्त मद मे प्रदेश की समस्त मण्डियों से उक्त मद मे राशि रू 179.80 करोड प्राप्त हुई तथा विभिन्न परियोजनाओं मे अनुदान के रूप मे राशि रू 67.82 करोड प्रदाय किये गये। इस निधि के अंतर्गत दिनांक 31.12.09 तक राशि रू 38.35 करोड का ब्याज अर्जित किया गया, जिसके विरुद्ध विभिन्न मेले, सेमीनार इत्यादि मे राशि रू 21.15 करोड विमुक्त किये गये है।

गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि

दिनांक 01.08.04 से 31.3.2009 तक समस्त मण्डियो से उक्त मद मे राशि रू 52.90 करोड प्राप्त हुई। जिसके विरूद्व राशि रू 40.94 करोड गौ पालन बोर्ड को प्रदाय किये गये।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

यह योजना दिनांक 27.1.09 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत राशि रू0 40.00 लाख विभिन्न मंडियों से प्राप्त हुए तथा प्रस्ताव अनुसार विभिन्न कलेक्टर्स को राशि रू0 21.00 लाख विमुक्त किये गये।

बोर्ड शुल्क

बोर्ड को शुल्क के रूप में वर्ष 2007–08 में रू0 51.02 करोड़ एवं वर्ष 2008–09 में रू0 57.00 करोड़ तथा चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अप्रेल 09 से दिसंबतर 09 तक रू0 42.65 करोड़ प्राप्त हो चुके है।

फूलों पर मंडी फीस से छूट

कृषि उपज मंडी समिति, इन्दौर के विनिर्दिष्ट प्रांगण में फूलों के सुचारू विपणन हेतु आधुनिक फूल मंडी स्थापित की गई है। मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17.7.2008 से राज्य सरकार द्वारा धारा 69 के अधीन कृषि उपज मंडी समिति, इन्दौर के मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज ''फूल'' पर अधिनियम के अधीन अधिरोपित मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट दी गई है। मंडी फीस की उक्त छूट अद्यतन प्रभावशील है।

एकल लायसेंस प्रणाली प्रभावशील की गई

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 32–क के अधीन एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है। धारा–32–क के अधीन मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2003 (संशोधित 2009) के अधीन निम्नानुसार फर्मो को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में क्रय–विक्रय के लिये निम्नानुसार विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

1. आई.टी.सी. लिमिटेड (आई.बी.डी)
2. भास्कर एक्स आईल्स लिमिटेड
3. शारदा सोलवेन्ट लिमिटेड
4. रेंजर फार्मस लिमिटेड
5. रिलायन्स रिटेल लिमिटेड
6. नेशनल बल्क हेंडलिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
7. रिलायन्स एग्री प्रोडक्ट्स डिस्टिब्यूशन लिमिटेड
8. उक्त नियम के अंतर्गत ''नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेट'' को केवल एक्सचेंज के लिये विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2003 को संशोधित कर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2 मार्च 2009 से नवीन विशेष अनुज्ञप्ति नियम 2009 प्रभावशील कर दिये गये है।

बोर्ड कार्मिक

क.	विवरण		संवर्ग का नाम	संख्या
1	विभागीय पदोन्नति	1.	सहायक संचालक से उपसंचालक	06
		2.	अनुभाग अधिकारी से सहायक संचालक	05
		3.	कनिष्ठ अंकेक्षक से वरिष्ठ अंकेक्षक	03
		4.	सहायक ग्रेड–3 से सहायक ग्रेड–2	03
2.	क्रमोन्नति		वाहन चालक	02
			भृत्य	05
3.	नियमितीकरण			39
4.	अनुकम्पा नियुक्ति			24
5.	कुल स्थानांतरण			35
6.	निराकृत न्यायालयीन प्रकरण			05

मंडी कार्मिक

क.	विवरण	संवर्ग का नाम	संख्या
1.	विभागीय पदोन्नति		03
2.	क्रमोन्नति		00
3.	नियमितीकरण		112
4.	कुल स्थानांतरण		127
5.	निराकृत न्यायालयीन प्रकरण		06
6.	अनुकंपा नियुक्ति	सहायक ग्रेड–3 / भृत्य / चौकीदार	15